

**विषय सूची**

प्रस्तर संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	<b>प्राक्कथन</b>	v
	<b>कार्यकारी सारांश</b>	vii
<b>अध्याय-1</b>		
<b>उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे का पुर्ननिर्माण-एक विहंगावलोकन</b>		
1.1	2013 की आपदा	1
1.2	उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन का ढाँचा	2
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.3.1	निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र, सीमा एवं आच्छादन	4
1.3.2	इकाईयों / कार्यालयों और कार्यों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया	5
1.3.3	लेखापरीक्षा मानदंड	6
1.3.4	प्रवेश और निकास गोष्ठियाँ	7
1.3.5	लेखापरीक्षा निष्कर्षों का व्यवस्थापन	7
1.4	आभार	8
<b>अध्याय-2</b>		
<b>निधियों का प्रबंधन</b>		
2.1	निधिकरण व्यवस्था	9
2.1.1	राज्य योजना के लिए विशेष आयोजनागत सहायता	11
2.1.2	केन्द्र पोषित योजनाओं (के पो यो) के अन्तर्गत सहायता	11
2.1.3	केंद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता	11
2.1.4	वाह्य सहायतित परियोजनायें	11
2.1.5	वित्त की समग्र स्थिति	12
2.1.6	परियोजना क्रियान्वयन अवधि	13
2.2	लेखापरीक्षा परिणाम	13
2.2.1	के पो यो - पु निधियों का कम आवंटन / उपयोग	13
2.2.2	राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम आवंटन	15
2.2.3	अनुमोदित परिव्यय का उपभोग न होना	16
2.2.4	स्वीकृत निधियों का व्ययावर्तन	17
2.2.5	अव्ययित अवशेष ₹ 30.62 करोड़ का अनधिकृत अवरोधन	18
2.2.6	अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ	21
2.2.7	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	25
2.2.8	ब्याज देनदारियों का सृजन	27
2.2.9	ब्याज प्राप्तियों का गलत प्रयोग	28
2.2.10	उपयोगिता प्रमाण पत्रों को बढ़ाकर प्रस्तुत करना	29

अध्याय-3		
क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की आयोजना एवं पुनर्निर्माण		
3.1	परिचय	31
3.2	मार्ग, सेतु और पैदल मार्ग	32
3.2.1.1	नोडल एजेंसी द्वारा क्षतिग्रस्त कार्यों की अनुचित पहचान और नियोजन	34
3.2.1.2	एक ही कार्य के लिए कई स्रोत से वित्तपोषण	36
3.2.1.3	उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) को तैयार किया जाना	37
3.2.2.1	नियत समय सीमा के भीतर कार्यों का पूर्ण न होना	37
3.2.2.2	गैर अनुमन्य कार्यों का निष्पादन	38
3.2.2.3	अनियमित योजना के कारण लागत वृद्धि	40
3.2.2.4	पैदल मार्ग कार्यों पर ऊंचाई और दूरी सूचकांक को अनियमित व अनुचित रूप से भारित किया जाना	41
3.2.2.5	वाह्य सहायतित परियोजनाओं (वा स प) के अंतर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों का कम आच्छादन	42
3.3	पर्यटन का बुनियादी ढाँचा	42
3.3.1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा), रुद्रप्रयाग	44
3.3.1.1	श्री केदारनाथ धाम और इसके यात्रा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं की पुनर्स्थापना में देरी	44
3.3.2	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प)	47
3.3.2.1	उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत पर्यटक विनियमन अध्ययन और उपायों को न किया जाना	47
3.3.2.2	उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत स्वीकृत पर्यटक आवासों की पुनर्स्थापना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाना	48
3.3.2.3	केन्द्र पोषित योजना - पुनर्निर्माण (के पो यो-पु) कार्यों के पूर्ण होने में देरी	50
3.3.3	उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) के कार्य	51
3.3.3.1	आपदा तैयारी के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) की त्रुटिपूर्ण योजना	51
3.3.3.2	कार्यों का अधिमूल्यांकन	52
3.4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	52
3.4.1.1	क्षतिग्रस्त सिंचाई बुनियादी ढाँचे का अपर्याप्त आच्छादन	53
3.4.1.2	विद्युत क्षेत्र से संबन्धित परियोजनाओं का गलत समावेशन	54
3.4.2.1	बड़ी संख्या में अनुबंधों के साथ कार्यों का अनियमित निष्पादन	54
3.4.2.2	वांछित ऊंचाई तक बाढ़ सुरक्षा कार्य को निष्पादित न किया जाना	55
3.5	विद्युत और ऊर्जा	55

3.5.1.1	बहु स्रोतों के वित्तपोषण हेतु प्रस्तावों को प्रेषित करना	56
3.5.2.1	अपुनर्स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं	56
3.5.2.2	उरेडा द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) को तैयार करने पर निष्फल व्यय	58
3.5.2.3	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा कार्यों के निष्पादन में असामान्य देरी	58
3.6	लोक भवन	58
3.6.1.1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों की स्वीकृति में देरी	59
3.6.1.2	गैर अनुमन्य विद्यालयी भवनों का आच्छादन	59
3.6.2.1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ प्र सं) की स्थापना के लिए भवन	59
3.6.2.2	उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण	60
3.7	रिहायशी आवास	61
3.7.1	भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक के बिना लाभार्थियों का चयन	61
3.7.2	राज्य सरकार को पुरानी संपत्ति का हस्तांतरण न किया जाना	62
3.8	कृषि और मृदा संरक्षण	62
3.9	वन और जैव विविधता	62
3.9.1	राज्य आपदा मोचन निधि (राज्य आ मो नि) से निष्पादित कार्य	63
3.10	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (ए ज प्र का)	63
3.11	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता	63
3.12	आपदा तैयारियों से संबन्धित अन्य गतिविधियां	64
3.12.1	विभागीय योजना और बजट की कमी	64
3.12.2	परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प क्रि इ) - आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास से कोई सहयोग प्राप्त न होना	64
<b>अध्याय-4</b>		
<b>पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण</b>		
4.1	प्रस्तावना	67
4.2	प्राधिकृत समितियों / संस्थानों की भूमिका और अनुश्रवण तंत्र	67
4.2.1	राज्य कार्यकारी समिति	67
4.2.2	कोर कमेटी और उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति	67
4.2.3	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	68
4.3	विभागीय पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र	68
4.3.1	निरीक्षणों के केंद्रीयकृत अभिलेखों का अभाव	68
4.3.2	अप्रभावी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण	69
4.3.3	त्रिपक्षीय आकलन का न किया जाना	70
4.3.4	सड़क कार्यों की निम्न गुणवत्ता	70

अध्याय-5		
निष्कर्ष और अनुशंसायें		
5.1	निष्कर्ष	73
5.2	अनुशंसायें	74
परिशिष्ट		
परिशिष्ट - 1.1	चयनित इकाईयों की सूची	77
परिशिष्ट - 2.1	म और दी पु निधि की क्षेत्रवार स्थिति (31 मार्च 2018 के अनुसार)	79
परिशिष्ट - 2.2	के पो यो की सूची जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कोई निधियाँ अवमुक्त नहीं की गयीं	80
परिशिष्ट - 2.3	के पो यो के तहत निधियों के कम आवंटन का विवरण	80
परिशिष्ट - 2.4	स्वीकृत निधियों के व्यावर्तन का विवरण	81
परिशिष्ट - 2.5	ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान का विवरण	83
परिशिष्ट - 2.6	ठेकेदारों को दिये गये अदेय लाभ का विवरण	84
परिशिष्ट - 2.7	लिक्विडेटेड डैमेज (एल डी) आरोपित न किये जाने का विवरण	85
परिशिष्ट - 3.1	विभागवार कार्य की स्थिति (मार्च 2017 एवं मार्च 2018)	86
परिशिष्ट - 3.2(अ)	मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के लिये बहुस्रोतों से वित्त पोषण का विवरण (म और दी पु पैकेज)	87
परिशिष्ट - 3.2(ब)	उन मोटर मार्गों के लिये स्वीकृत वि आ स-पु जिनका निर्माण अन्य स्रोतों के अन्तर्गत वित्त पोषण (राज्य क्षेत्र / प्र म ग्रा स यो) से किया जा रहा है	88
परिशिष्ट - 3.3	अमितव्ययी विकल्प के साथ निष्पादित कार्यों का विवरण	89
परिशिष्ट - 3.4	निर्धारित मापदण्डों की तुलना में परिचालन पथ की अतिरिक्त चौड़ाई वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण	90
परिशिष्ट - 3.5	दोषपूर्ण पेवमेंट डिजाइन वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण	90
परिशिष्ट - 3.6	चयनित कार्यों में भिन्नता के उदाहरण दिखाते हुए विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)	91
परिशिष्ट - 3.7	स्वीकृतियों के बिना निष्पादित कार्यों की सूची	91
परिशिष्ट - 3.8	उ आ स प की कार्य की सूची के अनुसार हेलीड्रोमस, हेलीपोर्ट्स, हैलीपैड्स और बहुउद्देशीय शेल्टरों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थान	92
परिशिष्ट - 3.9	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम की सात परियोजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि का विवरण	92
परिशिष्ट - 3.10	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) की उप-घटकानुसार गतिविधियाँ	93
संक्षिप्त रूपों की शब्दावलियाँ		95